




(6)

Mis-21

13381/23



M-book-2

विक्रय-पत्र

पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301
बाजारी कीमत-6,15,000/-रु0, स्टाम्प-1,93,500/-रु0
दर-65 लाख +10 प्रतिशत प्रति हे0

ई स्टाम्प संख्या-IN-UP70310532357575V

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि
- 2- परगना - जमौर
- 3- ग्राम - नवादा इन्देपुर
- 4- सम्पत्ति का विवरण - गाटा सं0-8
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.506 हे0 में से 0.086 हे0
- 6- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।
- 7- सड़क की स्थिति - मुख्य सड़क से करीब 500मी0दूर
- 8- प्रतिफल - 27,52,500/- रूपया

193500

विवरण चौहददी :-

- | | | |
|--------|---|---|
| पूरब | - | खेत श्याम अग्रवाल डायरेक्टर क्रेता कम्पनी |
| पश्चिम | - | खेत सुशील कुमार कुमरा आदि |
| उत्तर | - | चकमार्ग (6 मीटर से कम चौडा) |
| दक्षिण | - | खेत सुशील कुमार कुमरा आदि |

Ramesh

Vinay K

Rajesh

Suyam




e



Signature

D



Signature



(2)

सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा पुत्रगण राम मोहन सिंह
कुमरा निवासी गण मोहल्ला दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर
व दीपक मेहरोत्रा पुत्र गोपाल कृष्ण मेहरोत्रा निवासी मोहल्ला
मुजफ्फरगंज शहर व जिला शाहजहांपुर। मो०-9415035527,
9415119717, 7523968260 पैन नं०-ABOPK4221G, ABOPK4222F,
ABDPM1736F

..... प्रथम पक्ष

एवं

एस०पी०के०एन० एण्ड सन्स प्रा०लि० अजीजगंज शहर व जिला
शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर श्याम अग्रवाल पुत्र हितेश कुमार
अग्रवाल निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व
जिला शाहजहांपुर। पैन नं०-ABDCS6704J मो०-9648600000

.....द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधर स्थित ग्राम नवादा
इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसका
गाटा संख्या 8 रकबा 0.506 हे० हम प्रथम पक्ष की है, उक्त
आराजी हम प्रथम पक्ष के वास्तविक कब्जे व दखल में है मौके
पर खसरा संख्या 4, 5, 6 एवं 8 आपस में लगे हुये है और ही
सीमा के अन्तर्गत मौजूद है जिसमें से खसरा 8 हम प्रथम पक्ष
का कुल भाग है जिसका प्रथम पक्ष तन्हा काश्तकार भूमिधर है
उक्त आराजी का निकास चकरोड से होकर है विगत कई वर्ष
पूर्व हम प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि का उपयोग अकृषिक भूमि के
रूप में करने के उद्देश्य से उक्त भूमि को औद्योगिक भूमि

Romesh



Vijay



Rajesh



Sujam



विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2752500 स्टाम्प शुल्क- 193500 बाजारी मूल्य - 615000 पंजीकरण शुल्क - 27525 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 27585

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा
श्याम अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री हितेश कुमार अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर

Shyam



श्री, एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा

श्याम अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

①

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/05/2023 एवं 11:56:05

AM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Arjun Kumar Gupta
अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक :सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें



(3)

घोषित करा लिया था लेकिन कभी भी उक्त भूमि पर कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का अकृषिक भूमि के रूप में कोई इस्तेमाल किया गया लेकिन एक बार अकृषिक भूमि घोषित हो जाने के उपरान्त उक्त विवरण खतौनी में दर्ज चलता रहा जबकि मौके पर वास्तव में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का कोई उपयोग अकृषिक कार्यों में किया गया और न ही कभी उक्त भूमि का उपयोग आवासीय भूमि के रूप में किया गया। हम प्रथम पक्ष उक्त भूमि के एक अंश कि जिसका विवरण इस दस्तावेज के अन्त में दिया गया है का विक्रय करना चाहते हैं तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूमि 27,52,500/- रुपये में खरीदने को तैयार व रजामन्दर है। इससे अधिक कीमत देने के लिए कोई भी अन्य खरीददार तैयार नहीं है लिहाजा हम प्रथम पक्ष ने अपनी कुल शेष आराजी काश्त 0.086 हे० काश्त को खूब सोच व समझ कर अपनी स्वस्थ चित एवं इन्दियों की अवस्था में बिना किसी जोर व दबाव के वदस्त द्वितीय पक्ष से मु० 27,52,500 रूपया कि आधे जिसके मु० 13,76,250/- रूपया होते हैं में विक्रय कर दी तथा कुल कीमत इस दस्तावेज के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई मौके पर दे दिया अब हम प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिसान या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीत सम्पत्ति की बावत नहीं रहा और यदि कोई हम

Ramesh



Vijay K



Dupma

Sujan



Kumar

आवेदन सं०: 202300795005492

विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा, पुत्र श्री
राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



विक्रेता: 2

श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री
राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



विक्रेता: 3

श्री दीपक मेहरोत्रा, पुत्र श्री गोपाल
कृष्ण मेहरोत्रा

निवासी: मो० मुजफ्फरगंज
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



क्रेता: 1

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स
प्रा० लि० के द्वारा श्रीमाम अग्रवाल,

पुत्र श्री हितेश कुमार अग्रवाल

निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रिज
कम्पाउन्ड अजीजगंज

शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री कमल कुमार, पुत्र श्री सुखवीर

निवासी: मो० खिरनीबाग
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



(4)

प्रथम पक्ष का सहीम शरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा बातिल व नाजायज होगा और यदि ऐसे किसी विवाद के कारण विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे व दखल से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम पक्ष व वारिसान हमारे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व हमारे वारिसान को कोई उज्र या इन्कार नही होगा। यह कि उक्त आराजी का उपयोग कभी भी औद्योगिक/आवासीय कार्यों के लिये नही किया गया और अकृषिक घोषित होने के उपरान्त भी जब उसका उपयोग अकृषिक भूमि के रूप में नही रहा था तो राजस्व कर्मचारियों का भी दायित्व था कि उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों मे अकृषिक के स्थान पर कृषि भूमि धारा 144 यू0पी0 जेड0ए0एण्ड एल0आर0 एकट के तहत स्वतः कर देते और उनका स्वयं का दायित्व था कि मौके को देखकर राजस्व अभिलेख सही कर देते। लेकिन उनके द्वारा अभी तक ऐसा नही किया गया है उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में ही प्रयोग की जा रही है। उक्त आराजी काश्त विकासशील ग्राम की सूची में आती है जिस पर श्रीमान कलेक्टर शाहजहाँपुर द्वारा उत्तर प्रदेश (वैल्यूशन आफ प्रापर्टी नियमावली 1997 के अन्तर्गत बनाई गयी मूल्यांकन सूची जो दिनांक 26.09.2022 से प्रभावी है के अनुसार कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन सूची के पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301 की दर 65,00,000/- रूपया प्रति हे0 निर्धारित है परन्तु आराजी काश्त

Ramak



Vijay K



Ramesh S
Smyan



श्री राजीव , पुत्र श्री बद्रीनाथ
निवासी: ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी
तहसील सदर शाहजहांपुर
व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के
निशान अंगूठे नियमानुसार लिए
गए हैं ।
टिप्पणी : स्टाम्प कमी

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें



(5)


चकमार्ग पर स्थित होने के कारण 10 प्रतिशत बृद्धि करने के अनुसार मूल्यांकन किये जाने पर उसकी कुल बजारी मूल्य मु0 6,15,000/- रूपया होती है लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय मु0 27,52,000/- रूपया में किया जा रहा है जो विक्रय मूल्य श्रीमान कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा बनायी गयी मूल्यांकन सूची में दिये गये मूल्यांकन से अधिक है इस कारण स्टाम्प अधिनियम के शेड्यूल-1बी के अनुच्छेद 23(क) के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर स्टाम्प विक्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है। लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण अदायगी प्रतिफल

समस्त प्रतिफल मु0 27,52,500/- रूपया निम्न अनुसार अदा किया गया।

<u>चेक सं०</u>	<u>धनराशि</u>	<u>दिनांक</u>	<u>बैंक</u>
286548	917500	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक सुशील कुमार कुमरा
286549	917500	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक विनय कुमार कुमरा
286550	917500	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक दीपक मेहरोत्रा

नोट :- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति





उप निबन्धक
शहर-शाहजहाँपुर

न्यायालय: सिविल जज(सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर

मोहम्मद रईस खान आदि निरंजन सिंह आदि

मूलवाद संख्या- 283/2018

(CNR No.- UPSH050026242018)

दिनांक- 20.12.2022

निस्तारण समझौतानामा- 30 क

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थिति आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा-30 क पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

समझौतानामा-30 क मय शपथपत्र 35 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चन्द भले लोगों ने समझौतानामा-30 क में वर्णित शर्तों के आधार पर आपस में सुलह समझौता हो गया है। उभयपक्ष खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेंगे।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा-30 क की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.11.2022 को वादीगण मोहम्मद रईस खान आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बुधपाल सिंह व प्रतिवादीगण निरंजन सिंह आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया है। पक्षकारों को समझौतानामा न्यायालय में पढकर सुनाया व समझाया गया है। पक्षकारों के द्वारा समझौतानामा-30 क को स्वीकार किया गया है एवं कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर समझौतानामा-30 क न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को तस्दीक किया गया। समझौतानामा एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा/समझौतानामा-30 क की शर्तों के आधार पर दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

समझौतानामा-30 क के आधार पर दावा वादीगण आज्ञप्त किया जाता है। समझौतानामा-30 क मय आधार समझौता 31 क आज्ञप्ति का अंश होगा। यह निर्णय केवल पक्षकारों एवं उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय के प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस निर्णय के प्रभावस्वरूप किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का कोई भी प्रभाव अवयस्क पक्षकारों के वयस्कता पर प्राप्त उनके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित वांछित विधिक प्रक्रिया व देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये एवं इस आदेश की एक प्रती उभयपक्षों के ज्ञानपद शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

(हितेश अग्रवाल),

सिविल जज (सीनियर डिविजन),

शाहजहाँपुर।

(J.O. Code- UP2060)



उप निबन्धक

शहर-शाहजहाँपुर

नजरी नक्शा बिक्रीत आराजी संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम- जवाला इन्दौर - खजाना पार्सी

तहसील सदर जिला-शाहजहांपुर



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature



उप निबन्धक
सदर-ग्राहजहाँपुर

सौच्य पत्र

जाडा पत्रे सौच्य पत्र वादी गण मोहनगद रईस रवौ, श्रीमती
जिजला देवी, श्रीमती लूण्णा लान्ती मिफाई लूण्णा मिफा, श्रीमती
सिद्ध श्री, यडाप कुमार गुला, अनैष खिलौरिया हारा भुरव्वापर कात्र
रजैव खिलौरिया, रजैव खिलौरिया, रसुवर वाराण हारा भुरव्वापर कात्र
मोहनगद रईस रवौ, श्रीमती जितेड मम्मैला, व विरवा वार मिफा
की शनारव्वा श्री लुचपाल सिंह रइस व उतिवादी गण निरडांग सिंह
व शकील कहगद की शनारव्वा उनके कचिक्ता श्री कुलदीप
श्रीवास्तव रइस हारा मिफा गण । सौच्य पत्र पत्रकारों के
पदकर सुनाया गण । सौच्य पत्र लन्दीक पत्रकारों की जोर
से स्वयं समाजालय में उपस्थित होकर की गयी ।



[Handwritten signature]
14/11/22

सुमिलदेवी

रुचिरेश्वर
मन्मथ कुमार गुप्ता
मन्मथ खिलौरिया

सिद्ध श्री
रजैव खिलौरिया

श्रीमन्मथ गुप्त
शकील अहमद
Identify Signature
of Mr. Manmohan
Shakeel Ahmad
14/11/22
(कुलदीप श्रीवास्तव)



छठनाल्लान्तीमिफा
जितेन्द्र शनारव्वा
विरवा सा. कित्त

सौच्य निबन्धक
सदर-ग्राहजहाँपुर
Identify Signature
14-11-22
(Bhushal Singh) Ad

शकील अहमद
14/11/22
15-11-22

8.

फोटोग्राफ आराजी काशत

स्थित मोहल्ला / ग्राम—~~जवाहर...~~ इन्दौर...~~...~~ गाँव
तहसील सदर जिला—शाहजहाँपुर



Ramach



Vijay K



Rupam



Miyam



आधार समझौता



1. यह कि दावा वादी बाबत याचना (अ) आज्ञा माना जावेगा तथा बैनामा दिनांक 22.12.2015 इकरारी निरंजन सिंह बहक प्रतिवादी संख्या 2 श्रीकील अहमद निरस्त माना जावेगा तथा इसकी सूचना कार्यालय उप निबंधक शाहजहाँपुर को इस आदेश के साथ भेज दी जावेगी कि वह इस तथ्य की पुष्टि अपने अभिलेखों में कर देगे।
 यह कि विवादित बैनामे के संबंध में स्टाम्प जाद संख्या 141 सन् 2015 सरकार बनाम शकील अहमद तारीख फेब्रुवारी 04.01.2016 में पारित निर्णय के अनुसार विवादित बैनामे के संबंध में जो कमी स्टाम्प का आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार रु 5,33,590/- एव इस धनराशि पर व्याज राज्य सरकार को अदा किया जाना है। उक्त रकम की अदायगी वादीगण, प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से अदा कर देंगे ताकि भविष्य में कोई विवाद स्टाम्प शुल्क का शेष न बचे।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल बैनामा कार्यालय उप निबंधक शाहजहाँपुर से प्राप्त कर वादीगण को लौट देना।
4. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त बैनामे के संबंध में देय कमी स्टाम्प की रकम जो वादीगण द्वारा अदा कर दी जावेगी को सरकार से वापस प्राप्त करने के लिये वादीगण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाला व्यय वादीगण वहन करेंगे और इस संबंध में यदि कोई रूपया राज्य सरकार से वापस प्राप्त होगा तो इस धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण होंगे और इस समस्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 अपना पूरा सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुख्तयारनामा लिखकर वादीगण को सौंप देगा।
5. यह कि पक्षकारों के मध्य जो भी फौजदारी के वाद चल रहे हैं उन्हें भी पक्षकार आपसी सहयोग से समाप्त करा लेंगे।
6. यह कि वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।


वादीगण

प्रतिवादीगण



1. Mohd. Raees Khan
2. Smt Pramila Devi
3. Smt Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra
4. Smt. Sidh Shri
5. Ajay Kumar Gupta
6. Manish Khiloria
7. Ranjeev Khiloria
8. Raghveer Sharan
9. Smt. Jitendra Saxena
10. Vishwadhhar Mishra

1. Niranjn Singh
2. Shakeel Ahmad
Through
Counsel



Through
Budhpal Singh
Advocate

Budh Pal Singh
Advocate,
Collectrate, Shahjahanpur
Reg. No. 7509/92









द्वारा-
कुलदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट
कुलदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट
रजि० न०-142659/15 एडवोकेट
जजेस कोर्ट, शाहजहाँपुर
फोन०.8090649175



उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

(१.)

के नहीं हैं। काश्त सीलिंग व पट्टे की नहीं है। काश्त में पेड़, बोरिंग या कुआँ आदि नहीं है।

गवाह-1 कमल कुमार पुत्र सुखवीर निवासी मोहल्ला खिरनी
बाग शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9919214999



गवाह-2 राजीव पुत्र बृदीनाथ निवासी ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी
तहसील सदर जिला शाहजहांपुर। मो0-9956656535



मसविदा- आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0-99935535799
टाईपकर्ता- अनुज शर्मा
दिनांक- 23.03.2023 ई0


Alok Kumar Mishra (Advocate,
Reg. No.-5798/07
Judges Court, Shahjahanpur
Mob - 9935535799

आवेदन सं०: 202300795005492

मिनट बुक संख्या 2 द्वारा
निबंधन की कार्यवाही स्थगित की
गई।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023


आवेदन सं०: 202300795005492

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक

मिनट बुक संख्या 21 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16090 के पृष्ठ 1 से 18 तक क्रमांक 13381 पर दिनांक
30/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश यादव

उप निबंधक : सदर

शाहजहांपुर

03/05/2023

Certified that the amount required
make up the proper stamp duty is

Rs. 3,904/60/-

in words Three thousand Nine hundred four hundred only

and a penalty of Rs. 4000/-
in words Four thousand only

and Registration fee Rs. 550/95/-
in words Fifty five thousand Eight hundred Ninety five only

and Interest (1.5% per month)
Rs. (11,713 + 5060) = 17,573/-

in words Seventeen thousand five hundred Seventy three only

have been levied in respect of this Shyam Agrawal & Hitash
Instrument and have been paid by Kumar Agrawal R/o Aziz Chaug Bati Sadar P.O.

Through Treasury Chalan No. 66006B 133

Dated 12.05.2023 14.08.2023

ADM F/R
Collector
Stamp, Shahjahanpur